



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर बेंच भोपाल

(१६४)

प्रकरण क्र. .... / निगरानी / 17-18

८

सलीम खॉ आ. कल्लू खॉ  
निवासी एवं कृषक ग्राम रुसल्ली,  
तहसील बैरसीया, भोपाल, (म.प्र.)

P/32/निगरानी/भोपाल/२०१८/१०१४०

.....आवेदक

### विरुद्ध

18/१  
1. छोटी बी बेवा मो. रफीक,  
4. असरार,  
2-28 7. शकीला बी,  
10. हसीनाबी,  
पुत्र/पुत्री मो. रफीक खॉ

- |     |            |    |           |
|-----|------------|----|-----------|
| 2.  | अनवर खॉ,   | 3. | निसार,    |
| 5.  | आशिक,      | 6. | सरीफ खॉ,  |
| 8.  | अकीला बी,  | 9. | अनीसा बी, |
| 11. | चांदनी बी, |    |           |

12. शाहजहाँ बी बेवा मो. अजीज,  
15. हनीफ,  
पुत्र/पुत्री मो. अजीज खॉ

- |     |          |     |         |
|-----|----------|-----|---------|
| 13. | अनीस,    | 14. | रईस,    |
| 16. | सन्नोबी, | 17. | शानू बी |

18 मो. शफीक पुत्र कल्लू खॉ जाति फकीर  
समस्त निवासीगण – भोपाल, (म.प्र.)

.....अनावेदक

### निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत

महोदय,

निवेदन है कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम रुसल्ली, तहसील बैरसीया खसरा क्र. 439/1 रकबा 0.22 घैकटेयर का सीमांकन अनावेदक पक्ष द्वारा प्रकरण क्र. 86/अ-12/16-17 में आदेश दिनांक 14/12/17 से बगैर सूचना के अवैध रूप से करवाया गया है। जिससे परिवेदित होकर जानकारी के आधार पर समयावधि में यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/जे/गोपाल/भ्रम/18/1140 भाा-अ

सलीगं रवा

विरुद्ध

घटी का

तहसील

जिला

भोजपुर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. के विरुद्ध श्री गोपाल वर्मा के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।  पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।	NF 27/2/18 27/2/18	
27-2-18 गोपाल	आवेदक पक्ष सूचना उपरांत अनुपायित आवेदक पक्ष को तीव्रता पुकार लगाई गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपायित नहीं हुआ। अकेन्द्रिय पक्ष के सूचना उपरांत अनुपायित रद्दने के कारण आदम पैरवी में 2 बार जिम्मा आता है।	अद्यपद [ पीछे देखिये